संख्या- 15/543/24-1-14-18पी/05 टी0सी0

प्रेषक:

सुरेश कुमार शर्मा,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक 03 मार्च, 2014**

विषय:- उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए वितरण नेटवर्क के सुदृढीकरण हेतु अंशपूँजी मद में पुर्नविनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या-427/पीएसडीएफ/2014, दिनांक 06.02.2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में 33 के0वी0 के क्षमता की नये उपकेन्द्रों एवं लाईनों के निर्माण, वर्तमान में विद्वमान क्षमता वृद्धि तथा लिंक लाईनों के निर्माण हेतु लेखाशीर्षक "4801-बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय- आयोजनागत -02- ताप विद्वुत शक्ति उत्पादन-190-सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-14- उत्तर प्रदेश राज्य विद्वत उत्पादन निगम लिमिडेट-1409 ओबरा 'सी' तापीय परियोजना 2×660 मे0वा0 की स्थापना हेतु अंशपूँजी विनियोजन-30- निवेश/ऋण" के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रूपये 3,42,00,00,000/- (रूपये तीन अरब बयालिस करोड़ मात्र) में से 80,00,00,000/- (रूपये अस्सी करोड़ मात्र) को उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 के अनुदान संख्या- 9 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "4801- बिजली परियोजना पर परिव्यय- आयोजनागत-05 संचरण तथा वितरण- 190- सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 को वितरण नेटवर्क के सुदृढीकरण हेतु अंशपूँजी-30-निवेश/ऋण में संलग्नक (बी0एम0-9) के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से दिये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- प्रस्तर -1 में स्वीकृति धनराशि इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि 33/11 के0वी0 के क्षमता की नये उपकेन्द्रों एवं लाईनों के निर्माण, वर्तमान में विद्वमान क्षमता वृद्धि तथा लिंक लाईनों का निर्माण से संबंधित कार्यो जिनका डिस्कामवार विवरण संलग्नक-1,2,3 एवं 4 पर दिया गया है, पर व्यय की जायेगी। इस धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद हेतु किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा। यह सुनिश्चित किया जायेगा कि :-

(1) उक्त कार्य संबंधित डिस्काम्स के विधिवत अनुमोदित बिजनेस प्लान में सम्मिलित हों।

(2) कार्यो की आवश्यकता, टेक्नों, इकोनामिक अनुमोदन एवं आगणन का अनुमोदन सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त कर किया गया हो।

(3) कार्यो को तात्कालिक रूप से कराये जाने की अपरिहार्यता हो।

(4) समस्त डिस्काम्स कार्यो के सापेक्ष भौतिक एवं वित्तीय प्रगित का विवरण नियमित रूप से उपलब्ध करायेंगे।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या-426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

4- स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद/ लखनऊ और ऊर्जा विभाग/ वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

5- इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

6- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्षक "4801-बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनागत-05-संचरण तथा वितरण-190-सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-08-उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 को वितरण नेटवर्क के सुदृढीकरण हेतु अंशपूँजी-30-निवेश/ऋण" के नामे डाला जायेगा।

7- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या -ई - 10 - यू0 ओ0 -44 /दस-2014, दिनांक 28 फरवरी, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें हैं।

भवदीय,

(सुरेश कुमार शर्मा)
संयुक्त सचिव।

संख्या- 15/543(1)/24-1-14, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एव हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद 211001।
2- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठवां तल केन्द्रीय भवन, सेक्टर- एच, अलीगंज लखनऊ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-10/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4/राज्य योजना आयोग अनुभाग-1
5- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(सुरेश कुमार शर्मा)
संयुक्त सचिव।

http://srisanadesh.up.nic.in